कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
सीआईएन: U35201MH1990GOI223738

पंजीकृत कार्यालय: बेलापुर भवन, सेक्टर 11, प्लॉट नंबर 6, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400614, महाराष्ट्र

33 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की 33 **वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार**, 11 **सितंबर**, 2023 **को** 14:30 **बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी**:

साधारण कार्य:

मद संख्या 1 लेखा विवरणों का अंगीकरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कॉर्पोरेशन के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण (लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण),निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उस पर विचार करना और अंगीकार करना ।

मद संख्या 2 सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण

वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना।

विशेष कार्य:

मद संख्या 3
कंपनी के निदेशक के रूप में श्री परराग जयिन-नैनुतिया की नियुक्ति

महाराष्ट्र सरकार के प्रधान सचिव (परिवहन एवं बंदरगाह) श्री पराग जैन-नैनुतिया (डीआईएन-00295846) की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साथ निम्नलिखित संकल्प पारित करना,:

संकल्प है कि *कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के प्रावधानों के साथ-साथ कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद के अनुच्छेद 66 (1) के साथ और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 27 (1 सी) के पहले नियम के अनुसार, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति के साथ श्री पराग जैनिन-नैनुतिया (जन्म तिथि-14.12.1972) (डीआईएन-00295846), प्रधान सचिव (परिवहन और बंदरगाह), महाराष्ट्र सरकार, जिन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा अपने दिनांक 14.03.2023 के पत्र सं रेल-0123/एसएल.न.01/ट्रांसपोर्ट-5 के तहत नियुक्त किया है। उन्हें महाराष्ट्र सरकार से अगली अधिसूचना प्राप्त होने तक की अवधि के लिए दिनांक 14.03.2023 को अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड में शामिल किया जाता है।*

इसके आगे संकल्प है कि *कंपनी सचिव को इस तरह के सभी कृत्यों, कार्यों और चीजों को करने और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जो इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उचित और आनुषंगिक हो सकते हैं।*

मद संख्या 4
कंपनी के निदेशक के रूप में श्री आर. के. हेगड़े की नियुक्ति

कंपनी के निदेशक (रेलपथ एवं कार्य) के रूप में श्री आर. के. हेगड़े [डीआईएन: 10148836] की नियुक्ति पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के निम्नलिखित संकल्प पारित करना,:

इसके आगे संकल्प है कि *कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के प्रावधानों के साथ-साथ कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद के अनुच्छेद 65 (1) के साथ और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 27 (1 सी) के पहले नियम के अनुसार, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति के साथ श्री आरके हेगड़े (जन्म तिथि- 20.05.1965) [डीआईएन: 10148836] निदेशक (रेलपथ एवं कार्य) के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 01/05/2023 के रेल मंत्रालय के पत्र संख्या 2022/ई (ओ) II/40/09 नई दिल्ली माध्यम से नियुक्त किया है। उन्हें 01.05.2023 से 31.05.2025 तक की अवधि के लिए (यानी, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक) या रेलवे बोर्ड के अगले आदेश प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, कंपनी के बोर्ड में शामिल किया जाता है।*

इसके आगे संकल्प है कि *कंपनी सचिव को इस तरह के सभी कृत्यों, कार्यों और चीजों को करने और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जो इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उचित और आनुषंगिक हो सकते हैं।*

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए

स्थान: सी.बी.डी. बेलापुर, नवी मुंबई | **राजेंद्र सी. परब**
दिनांक: 18 अगस्त, 2023 | **कंपनी सचिव**

टिप्पणियां:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में, नोटिस के मद संख्या 3 से 4 के तहत व्यवसाय के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण एतदद्वारा संलग्न हैं।

2. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 28 दिसंबर, 2022 (सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्र के रूप में संदर्भित) के अपने सामान्य परिपत्रों के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को आम स्थल पर सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विज़ुअल माध्यमों (ओएवीएम) से आयोजित करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू प्रावधानों और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी की 33 वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार दिनांक 11 सितंबर,2023 को 14:30 बजे वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है। 33 वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का निश्चित स्थान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 3 वीं मंजिल, बोर्ड रूम, बेलापुर भवन, प्लॉट नंबर 6, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614 होगा।

3. एमसीए परिपत्रों के अनुसार, अधिनियम की धारा 105 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूतियों के धारकों को प्रॉक्सी फॉर्म भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और परिणामस्वरूप कंपनी की 33 वीं वार्षिक आम बैठक की इस नोटिस के साथ प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और रूट मैप संलग्न नहीं हैं। तथापि, अधिनियम की धारा 112 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति और भाग लेने वाले राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा तथा केरल के राज्यपालों को वीसी के माध्यम से 33 वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का अधिकार है।

4. चूंकि एमसीए परिपत्रों के अनुसार 33 वीं वार्षिक आम बैठक वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है।

5. कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक को बंद करने की रिकॉर्ड तिथि

शुक्रवार, 01 सितंबर, 2023 होगी।

6.एमसीए परिपत्रों के अनुसार, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और नोटिस ई-मेल के माध्यम से भेजी जा रहा है। नोटिस और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.konkanrailway.com पर उपलब्ध है।

7. वीसी के माध्यम से आयोजित 33 वें वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए उक्त बैठक संबंधी लिंक बैठक की तिथि से पूर्व सदस्यों को भेजी जाएगी।

8. संलग्न नोटिस से संदर्भित सभी दस्तावेज़ कंपनी के सदस्यों के लिए 33 वीं वार्षिक आम बैठक की तारीख तक तथा उसी दिन भी निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। निरीक्षण के लिए इच्छुक सदस्य अपने अनुरोध compsec@krcl.co.in पर भेज सकते हैं।

9. 5 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 के खंड 3 ए II के प्रावधानों के अनुसार, संलग्न नोटिस के आइटम संख्या 3 और 4 में प्रदर्शित विशेष कार्य के मामले को बोर्ड द्वारा अपरिहार्य माना गया है और इसलिए, यह इस नोटिस का भाग है।

10. कृपया ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत बैठक आयोजन के नियत समय के आधे घंटे की समाप्ति पर, कोरम (अर्थात प्रॉक्सी के अलावा व्यक्तिगत रूप से न्यूनतम 5 सदस्य उपस्थित) यदि उपस्थित नहीं होता है,तो बैठक अगले सप्ताह के उसी दिन तक स्थगित की जाएगी या यदि उसी दिन सार्वजनिक छुट्टी आती है तो तुरंत उसके बाद सार्वजनिक छुट्टी न होने वाले दिन उसी समय और उसी स्थान पर या ऐसा अन्य दिवस और ऐसा समय तथा स्थान जो बोर्ड निर्धारित करेगा और ऐसी स्थगित बैठक के लिए नियत समय के आधे घंटे की समाप्ति पर यदि कोरम उपस्थित नहीं होता है, तो उपस्थित सदस्य ही कोरम होंगे और आमंत्रित करने के कार्य पर कार्यवाही की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में विशेष कार्यों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 3

श्री पराग जैन-नैनुतिया (डीआईएन- 00295846) की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति

I. कंपनी एसोसिएशन के अनुच्छेद 66 (राज्यपालों द्वारा निदेशकों की नियुक्ति) में प्रावधान है कि:

(1) प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार होगा कि वह कंपनी के निदेशक मंडल में संबंधित राज्य के सचिव या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी को निदेशक के रूप में और ऐसे निदेशक के लिए एक वैकल्पिक निदेशक को भारत से कम से कम तीन महीने से अधिक अवधि के लिए नामित करने का अधिकार होगा। इस प्रकार नामित किए जाने वाले निदेशक और वैकल्पिक निदेशक गैर-कार्यपालक निदेशक होंगे।

(2) इस प्रकार नियुक्त किए गए गैर-कार्यपालक निदेशक को संबंधित राज्यपाल द्वारा जब तक नहीं हटाया जाता है या उनके त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, मृत्यु नहीं होती है तब तक पद धारण करेंगे।

(3) राज्यपाल को अपने पूर्ण विवेक से किसी भी समय उनके द्वारा नियुक्त किए गए गैर-कार्यपालक निदेशक को पद से हटाने के अधिकार हैं और उक्त अनुच्छेद में किए गए प्रावधान के अनुसार उन्हें हटाने, मृत्यु या अन्यथा से उत्पन्न होने वाली किसी रिक्ति को भरने का भी अधिकार है।

II. महाराष्ट्र के राज्यपाल (महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से) द्वारा दिनांक 14.03.2023 के रेल-0123/एसएल.न.01/ट्रांसपोर्ट-5 पत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार के प्रधान सचिव (परिवहन एवं बंदरगाह) श्री पराग जैन-नैनुतिया को 14.03.2023 से कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

III. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (2) में किए गए प्रावधान के अनुसार प्रत्येक निदेशक को कंपनी द्वारा आम बैठक में नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1 सी) में प्रावधान है कि सूचीबद्ध कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में या प्रबंधक के रूप में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में या नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, ली जाए। हालांकि, सेबी ने दिनांक 17.01.2023 की संशोधन अधिसूचना के माध्यम से विनियमन 17 (1 सी) में एक नियम जोड़ा है, जहां सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निदेशक की नियुक्ति के बाद आयोजित अगली आम बैठक (एजीएम/ईजीएम) में शेयरधारक का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए छूट दी गई है। तदनुसार, भारत के राष्ट्रपति और भाग लेने वाले राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा तथा केरल के राज्यपालों द्वारा की गई सभी नियुक्तियों पर आम बैठक में सदस्यों द्वारा सहमति दी जानी आवश्यक है।

IV. निदेशक मंडल ने 25.05.2023 को आयोजित अपनी 175वीं बैठक में महाराष्ट्र सरकार के प्रधान सचिव (परिवहन और बंदरगाह) श्री पराग जैन-नैनुतिया को कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए मंजूरी दी है।

V. कंपनी के निदेशक होने के नाते श्री पराग-जैन नैनुटिया को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार वित्तीय या अन्यथा व्यवसाय के इस मद में संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मद सं. 4

कंपनी के निदेशक के रूप में श्री आर. के. हेगड़े [डी.आई.एन.: 10148836] की नियुक्ति

I. कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 65 (राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशकों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल तय किया जाता है) में प्रावधान है कि:

(1) राष्ट्रपति को निम्नलिखित को नियुक्त करने के अधिकार हैं:

(ए) अध्यक्ष (पूर्णकालिक या अंशकालिक) और प्रबंध निदेशक (ओं) या अन्य पूर्णकालिक निदेशक;

(ख) भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक; और

(ग) अध्यक्ष के परामर्श से गैर-सरकारी निदेशक।

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए निदेशक को उनके द्वारा हटाए जाने तक या उनके इस्तीफे, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या अन्यथा तब तक पद पर बने रहेंगे।

II. भारत के राष्ट्रपति (रेल मंत्रालय के माध्यम से) द्वारा दिनांक 01/05/2023, के पत्र संख्या 2022/E(O)II/40/09 नई दिल्ली के अंतर्गत श्री आर.के. हेगडे [डीआईएनः 10148836] को दिनांक 01.05.2023 से 31.05.2025 (यानी, उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक) या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तब तक की अवधि के लिए कंपनी के निदेशक (वेतन और कार्य) के रूप में नियुक्त किया गया है।

III. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (2) में किए गए प्रावधान के अनुसार प्रत्येक निदेशक को कंपनी द्वारा आम बैठक में नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1 सी) में प्रावधान है कि सूचीबद्ध कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में या प्रबंधक के रूप में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में या नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, ली जाए। हालांकि, सेबी ने दिनांक 17.01.2023 की संशोधन अधिसूचना के माध्यम से विनियमन 17 (1 सी) में एक नियम जोड़ा है, जहां सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निदेशक की नियुक्ति के बाद आयोजित अगली आम बैठक (एजीएम/ईजीएम) में शेयरधारक का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए छूट दी गई है। तदनुसार, भारत के राष्ट्रपति और भाग लेने वाले राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा तथा केरल के राज्यपालों द्वारा की गई सभी नियुक्तियों पर आम बैठक में सदस्यों द्वारा सहमति दी जानी आवश्यक है।

IV. निदेशक मंडल ने 25.05.2023 को आयोजित अपनी 175 वीं बैठक में कंपनी के बोर्ड में निदेशक (रेलपथ एवं कार्य) के रूप में श्री आर. के. हेगड़े की नियुक्ति को मंजूरी दी।

V. कंपनी के निदेशक होने के नाते श्री आर. के. हेगड़े को छोड़कर को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार वित्तीय या अन्यथा व्यवसाय के इस मद में संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

*****